क्रम संख्या–177

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 मई, 2010

बैशाख 30, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 559/तीस-1–2010-5(124)-08

लखनऊ, 20 मई, 2010

अधिसूचना

प०आ०–322

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी और अन्ततः दिनांक 10 दिसम्बर, 2009 को सार्वजनिक सूचना देकर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 982/30-1–2009-5(124)-08, दिनांक 21 अगस्त, 2009 के क्रम में, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात जिला कन्नौज में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कार्यशाला हेतु आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा के अधीन कन्नौज के कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करें।

2–चूँकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है, इसलिए वह उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, जिला कन्नौज के कलेक्टर, उक्त लोक प्रयोजन के लिए, अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के अवसान पर कब्जा कर सकते हैं।

टिप्पणी–अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 559/XXX-1–2010-5(124)-08, dated May 20, 2010 for general information :

No. 559/XXX-1–2010-5(124)-08
Dated Lucknow, May 20, 2010

IN continuation of Government notification no. 982/XXX-1–2009-5(124)-08, dated August 21, 2009 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), and lastly published by giving public notice on December 10, 2009, the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for the Uttar Pradesh Parivahan Nigam Workshop in district Kannoj and under section 7 of the said Act, to direct the Collector of Kannoj to take order for acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act to direct that the Collector of Kannoj though no award under section 11 has been made may, on the expiration of fifteen days from the date of publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the Schedule, for the said public purpose.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	ग्राम Village	गाटा सं0 Plot no.	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ / हेक्टेयर में) Approximate Area (In Acres/Hectares)
1	2	3	4	5
कन्नौज Kannoj	कन्नौज Kannoj	रितुकाला Ritukala	765 M	3.59 एकड़ / Acres 1.453 Hectares/ हेक्टेयर

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–जिला कन्नौज में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कार्यशाला के निर्माण हेतु।

For what purpose required :– For the Construction of Uttar Pradesh Parivahan Nigam Workshop in district Kannoj.

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कन्नौज के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :– A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Kannoj.

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

By order,
MAJID ALI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 167 राजपत्र (हि०)–2010–(363)–597 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० परिवहन–2010–(364)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।